राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–19/2024 2131

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पटना।

पटना, दिनांक– 9.5.24

विषय :– मनेर प्रखंड ग्राम पंचायत बाँक के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक 1690 दिनांक 01.04.2024 एवं आपका पत्रांक 1835 दिनांक 20.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध कहना है कि आयोग के प्रासंगिक पत्र द्वारा **मनेर प्रखंड ग्राम पंचायत बाँक के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रतिवेदन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (4) (2) के अनुरूप नहीं रहने के आलोक में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव भेजने हेतु निदेश दिया गया था।

विदित हो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 में वैधानिक परीक्षण करने की शक्ति जिला पदाधिकारी में निहित है। परन्तु संदर्भित मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनेर से प्रतिवेदन प्राप्त कर मात्र संलग्न कर आयोग को प्रेषित किया गया है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त नियमानुसर संबंधित पक्षों की सुनवाई कर आदेश पारित करते हुए प्रस्ताव अपने मंतव्य के साथ भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
09/05/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

9.5.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com